भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1829

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम

1829. श्री मोहिब्बुल्लाहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले एक दशक के दौरान स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के परिणामों, जैसे कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटरी, रक्षा, अंतरिक्षऔर क्वांटम कंप्यूटिंग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी समीक्षा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) स्टार्टअप इंडिया के अगले चरण के तहत डीप-टेक उद्यमिता को बढ़ावा देने, घरेलू अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने और विदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए किन विशिष्ट नीतिगत उपायों, प्रोत्साहनों और समय-सीमाओं का प्रस्ताव किया गया है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने हेतु 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

दिनांक 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत इकाइयों को "स्टार्टअप्स" के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार के निरंतर प्रयासों से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है और रोजगार सृजन हुआ है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 2,07,135 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप

में मान्यता प्रदान की गई है। इन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स ने 21.9 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कुल कंपनियों में से, 14,400 से अधिक स्टार्टअप्स को एरोनॉटिक्स एरोस्पेस और रक्षा (रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित), आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस (एआई), और प्रौद्योगिकी हार्डवेयर (सेमीकंडक्टर सहित) जैसे सेक्टरों और उद्योग के क्षेत्रो में मान्यता प्रदान की गई है, जिन्होंने 1.25 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

ऐसी मान्यताप्राप्त स्टार्टअप कंपनियां, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को फंडिग के अवसर उपलब्ध कराने और उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। सरकार की तीन प्रमुख स्कीमों, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) से भी लाभान्वित हुई हैं।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। विशेष रूप से, आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस/रोबोटिक्स और स्पेस टेक क्षेत्रों में, सहायता प्राप्त एआईएफ ने, 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार 48 स्टार्टअप्स में लगभग 916.49 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। विशेष रूप से, एरोनॉटिक्स एरोस्पेस और रक्षा (रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित), आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस (एआई), और प्रौद्योगिकी हार्डवेयर (सेमीकंडक्टर सहित) सेक्टरों और उद्योग क्षेत्रों में, चुनिंदा इन्क्यूबेटरों ने 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, 406 स्टार्टअप्स को लगभग 73.4 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए लागू किया गया है। सीजीएसएस का संचालन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह 1 अप्रैल, 2023 से संचालित है। विशेष रूप से,

एरोस्पेस और रक्षा सेक्टर/उद्योग क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए लगभग 68.30 करोड़ रुपए की राशि के 14 ऋणों को गारंटी प्रदान की गई है।

इसके अलावा, समग्र सरकार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से सेमीकंडक्टर, आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस, बैटरी, रक्षा, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों सहित डीप टेक उद्यमिता को बढ़ावा देने, घरेलू अनुसंधान एवं विकास और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा की गई ऐसी पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1829 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा की शुरू की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम):** एनक्यूएम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसके तहत चार विषयगत हब स्थापित किए गए हैं। ये हब प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करते हैं: भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग, सी-डॉट के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में क्वांटम संचार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई में क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में क्वांटम सामग्री और उपकरण। सभी चार हब अब पूर्णतः कार्य कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, मानव संसाधन का विकास कर रहे हैं, उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योग साझेदारी को सुदृढ़ कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हब भारत के क्वांटम ईकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना और कुशल जनशक्ति का विकास करते हुए वैज्ञानिक सफलताओं को उपयोग में लाए जाने योग्य प्रौद्योगिकियों में बदलने और विदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए शिक्षाविदों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, उद्योग जगत और स्टार्टअप्स को साथ ला रहे हैं।

   भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास को गति प्रदान करने और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनक्यूएम, स्टार्टअप्स से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि क्वांटम प्रौद्योगिकियां अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं और इनमें पर्याप्त निवेश किए जाने की आवश्यकता है, एनक्यूएम ने इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रभावी ढंग से ऑनबोर्ड करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इस मिशन का उद्देश्य, क्वांटम स्टार्टअप्स के बढ़ते पूल को सहायता, उन्हें वित्तपोषण प्रदान करना, विषयगत हब (टी-हब्स) में उन्नत अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करना और उद्योग जगत तथा रणनीतिक क्षेत्रों के साथ साझेदारी के माध्यम से मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करना है। तदनुसार, क्वांटम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए एनक्यूएम द्वारा रोल कॉल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

2. **इंडिया एआई मिशन:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत इंडियाएआई मिशन जैसी पहलों के माध्यम से, सरकार लक्षित निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को गति प्रदान कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य, भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करना और एआई के क्षेत्र में जिम्मेदार तथा समावेशी

नेतृत्व सुनिश्चित करना है। इस मिशन की संरचना सात मूलभूत पिलर्स के आधार पर की गई है:

i. इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता: स्टार्टअप, एमएसएमई और शोधकर्ताओं के लिए जीपीयू सहित उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधनों तक किफायती पहुंच प्रदान करना।

ii. इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल: जनरेटिव एआई में प्रमुख क्षमता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित स्वदेशी व्यापक मल्टीमोडल और भाषा आधारित मॉडल तैयार करना।

iii. एआईकोश: एआई मॉडल तैयार करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों में से उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार करना।

iv. इंडियाएआई एप्लिकेशन विकास पहल: स्वास्थ्य सेवा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, गर्वनेंस और सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में विशेषकर भारत से संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एआई समाधानों की दिशा में सहायता प्रदान करना।

v. इंडियाएआई भावी कौशल: टियर-2 और टियर-3 शहरों में डाटा और एआई लैब के साथ-साथ स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से भारत की एआई प्रतिभा पाइपलाइन का विस्तार करना।

vi. इंडियाएआई स्टार्टअप को वित्तपोषण: एआई स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

vii. सुरक्षित और भरोसेमंद एआई: नवप्रयोग को सक्षम करते हुए पूर्वाग्रह को कम करने, गोपनीयता की सुरक्षा करने, पारदर्शिता में सुधार करने और एआई से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन पर केंद्रित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना।

3. **डिज़ाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) स्कीम:** सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के भाग के रूप में डीएलआई स्कीम को सेमीकंडक्टर आईपी कोर, एएसआईसी, एसओएस और सेमीकंडक्टर- संबद्ध डिज़ाइन को तैयार करने के लिए घरेलू कंपनियों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई को सहायता प्रदान करने उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है। डीएलआई स्कीम त्रि-स्तरीय रूपरेखा के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, जिसमें ईडीए टूल्स, आईपी कोर, एमपीडब्ल्यू सेवाएं और प्रोटोटाइप सुविधाओं तक पहुंच के साथ डिजाइन अवसंरचना को सहायता; पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति को

प्रस्तुत करने वाला एक उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एप्लिकेशन 15 करोड़ रुपए है; और लागू करने से संबद्ध प्रोत्साहन, जो पांच वर्षों में 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की निवल बिक्री कारोबार की प्रतिपूर्ति का प्रावधान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एप्लिकेशन 30 करोड़ रुपए है, शामिल है।

डीएलआई स्कीमों के तहत, विभिन्न एप्लीकेशन हेतु चिप्स और सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) डिजाइन करने के लिए 24 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, 100 से अधिक स्टार्टअप/एमएसएमई कंपनियों को उन्नत चिप डिजाइन टूल्स की केंद्रीकृत पहुंच प्रदान की गई है। ये कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में चिप डिजाइन कर रही हैं, जिसमें उपग्रह संचार, ड्रोन का पता लगाने, निगरानी कैमरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों के लिए पावर प्रबंधन, एलईडी ड्राइवर, आईओटी और चिकित्सा एप्लिकेशन, ब्रॉडबैंड एप्लिकेशन, स्मार्ट मीटर, गैस सेंसर और एज एआई के लिए सामान्य प्रयोजन माइक्रोप्रोसेसर बौद्धिक संपदा (आईपी) कोर आदि शामिल हैं। ये स्टार्टअप्स जहां डिजाइन, विकास और प्रोटोटाइप के विभिन्न चरणों में हैं, 16 डिज़ाइन टेप-आउट किए गए हैं, उन्नत नोड्स (12 एनएम सहित) पर 7 चिप्स बनाए गए हैं, 10 पेटेंट दायर किए गए हैं, और 140 से अधिक पुन: उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य आईपी विकसित किए गए हैं।

4. **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा की गई पहलें:** रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं, जिनके माध्यम से निजी क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई और साथ ही स्टार्टअप्स को सहायता अनुदान प्रदान करके रक्षा अनुसंधान एवं विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य, रक्षा उपकरणों के उत्पादन को स्वदेशी बनाना है जिससे रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता कम हो सके।

   i. प्रौद्योगिकी विकास निधि (डीटीडीएफ) स्कीम: प्रौद्योगिकी विकास निधि स्कीम, रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत डीआरडीओ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सरकार ने टीडीएफ स्कीम को उद्योगों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुमोदित किया है।

ii. 'डेयर-टु-ड्रीम' अखिल भारतीय नवप्रयोग प्रतियोगिता, रक्षा ईकोसिस्टम में योगदान देने वाले स्टार्टअप्स और नवप्रयोग को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय नवप्रयोग प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से, डीआरडीओ, नवप्रयोग संबंधी आइडिया को आमंत्रित करता है और सर्वश्रेष्ठ आइडिया चयन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। डेयर-टु-ड्रीम प्रतियोगिता के चार संस्करण पहले ही सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

iii. सहयोग आधारित विकास प्रक्रिया के रूप में स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को शामिल करके महत्वपूर्ण और डीपटेक प्रौद्योगिकियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता नवप्रयोग स्कीम (आईडेक्स) और आईडेक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (अदिति) जैसे कार्यक्रम, रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शामिल करते हुए नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

6. **अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)** ने मिशन-मोड में प्राथमिकता-आधारित, समाधान-कैंद्रित अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति हेतु मिशन (महा) कार्यक्रम की शुरुआत की है।

7. अंतरिक्ष विभाग के इन-स्पेस ने इन्क्यूबेशन-पूर्व उद्यमशीलता, आरंभिक निधि, प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु निधि और 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि जैसी विभिन्न संवर्धन और निवेश स्कीमें शुरू की हैं।

8. **एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज** पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम: सरकार ने दिनांक 12.05.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से पीएलआई स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया। इस स्कीम का उद्देश्य 50 जीडब्ल्यू एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण ईकोसिस्टम की स्थापना करना है।

9. **स्टार्टअप इंडिया पहल** के तहत, सरकार विभिन्न सेक्टरों और उद्योगों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए नीतिगत, विनियामक और राजकोषीय उपायों सहित निरंतर विभिन्न प्रयास करती है। सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित आवधिक कार्यकलापों और

कार्यक्रमों को भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है, और उनकी सहायता करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने के लिए एक ऊर्जावान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती हैं। बाजार तक पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने के लिए भी पहलें शुरू की गई हैं, जिससे स्टार्टअप्स को, अपने व्यवसाय की वृद्धि करने और स्केलिंग-अप करने में मदद मिलती है। इन उपायों को बल प्रदान करने के लिए विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजन और कार्यक्रम किए जाते हैं। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें व्यवसाय शुरू करना, पूंजी जुटाना और विनियामक वातावरण को सरल बनाना और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के लिए अनुपालन बोझ कम करना शामिल है।

*****